



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2014/आश्विन 25, 1936

No. 294]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2014/ASVINA 25, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2014

फा. सं. पी.15025/263/13-पीए/एफएएसएएसआई.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और ओषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 है।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, 'खाद्य सहयोज्य' से संबंधित विनियम 3.1 में,—

(क) "विनिर्दिष्ट सीमाओं में उपयोग के लिए अन्य प्रदार्थ" से संबंधित उप-विनियम 3.1.17 में, की सारणी में क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
"20.	पुल्लुलन (प्रगाढन और कांचतीकरण अभिक्रमक)	डेयरी आधारित मिष्ठान जैसे पुडिंग, फल या सुवासित योगाहर्ट आदि, उपर्युक्त वर्णित खाद्य प्रवर्ग-1 के डेयरी आधारित मिष्ठान उत्पादों को छोड़कर वसा आधारित मिष्ठान । पहले से पका हुआ पास्ता और नूडल्स और जैसे उत्पाद परिपक्वन और मसाले	जीएमपी" ।

आर. के. जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./1870/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए :

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 ।
- (ii) फा.सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013 ।
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2014

F. No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), hereby publishes as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002.

Draft Regulations

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 3.1 relating to "Food Additives",—

- (a) in sub-regulation 3.1.17 relating to "Other substances to be used in Specified limits", in the TABLE, after serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4
"20.	Pullulan (thickening and glazing agent)	Dairy based desserts, such as pudding, fruit or flavoured yoghurt, etc., Fat-based dessert excluding dairy based dessert products of food category 1 mentioned above. Pre-cooked pastas and noodles and like products. Seasoning and condiments.	GMP".

R. K. JAIN, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./1870/14]

Note:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No: 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2010 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.